न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 88/2013–14 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

प्रकाश सिंह थापा व अन्य

बनाम

श्रीमती कला थापा व अन्य

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री सन्देश जायसवाल।

बावत

मौजा रायपुर, परगना परवादून
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी(सदर), देहरादून के द्वारा वाद संख्या–4/2013–14 अन्तर्गत धारा–41 एल0आर0एक्ट प्रकाश थापा आदि बनाम कला थापा आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–

निगरानीकर्तागण/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, देहरादून के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सीमांकन/पैमाईश का प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 13–01–2014 विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी(सदर), देहरादून को प्रेषित की जिसमें उल्लेख किया गया कि :– '' ग्राम रायपुर के खसरा नम्बर 1888, 1889, 1899/2 आदि के सीमांकन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में उनके द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के सीमांकन किये जाने हेतु दिनांक 04–01–2014 की तिथि नियत कर नोटिस जारी किये गये। नियत तिथि को विपक्षी कला थापा की ओर से शिवानी द्वारा सूचना प्राप्त की गई। आवेदक की ओर से प्रकाश थापा द्वारा सूचना प्राप्त की गई। नियत तिथि को बन्दोबस्त लेखपाल शिवलाल, कानूनगो, ओमप्रकाश, क्षेत्रीय लेखपाल नीरज कान्त के साथ स्थल पर प्रकाश थापा, प्रताप थापा निवर्तमान प्रधान महेश यादव तथा कला थापा की ओर से राम सिंह स्थल पर उपस्थित थे। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 1856/3, खसरा संख्या 1875/4, खसरा संख्या 1881 का

सीमांकन न करने तथा केवल खसरा संख्या 1888, 1889, खसरा संख्या 1899/2 का ही सीमांकन करने का अनुरोध किया। उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये। विपक्षी कला थापा की ओर से उपस्थिति राम सिंह ने पैमाईश स्थल पर पैमाईश के समय उपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया। ग्राम रायपुर वर्ष 1991–92 से बन्दोबस्त प्रकिया के अधीन है। बन्दोबस्त लेखपाल के पास मौजूद शजरे के आधार पर पैमाईश की गई। पैमाईश के अनुसार स्थल पर नजरी नक्शा तैयार किया गया जिसमें बिन्दु संख्या ए से बी0 की दूरी 22 मीटर, सी0 से डी0 तक की दूरी 20 मीटर, ई0 से एफ0 तक की दूरी 21 मीटर, ए0 से ई0 तक की दूरी 45.5 मीटर तथा बी0 से एफ0 की दूरी 46.3 मीटर पाई गई तथा बिन्दु बी0 से जी0 तक की दूरी 2 मीटर प्रस्तावित की गई। तहसीलदार की आख्या के आधार पर परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में वाद दर्ज हुआ। इस वाद में प्रतिवादी श्रीमती कला थापा की ओर से दिनांक 27–01–2014 को दिनांक 04–01–2014 के सीमांकन की कार्यवाही पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उपलब्ध साक्ष्यों आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त तहसीलदार, देहरादून की सीमांकन आख्या दिनांक 04–01–2014 निरस्त की गई और पुन सीमांकन हेतु तहसीलदार, देहरादून की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन रिपोर्ट तीन सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। जिसके कम में पुनः तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–02–2014 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 01–03–2014 को सीमांकन रिपोर्ट प्रेषित की गई। विद्वान परगनाधिकारी (सदर), देहरादून द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत आपत्तियों आदि के आधार पर अपने निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 से तहसीलदार, देहरादून की सीमांकन आख्या दिनांक 01–03–2013 को जो दिनांक 01–03–2014 को प्रेषित की गई की पुष्टि की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी(सदर), देहरादून के निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि वास्तव में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रश्नगत सीमांकन वाद 08–07–2008 को अधीनस्थ न्यायालय में योजित किया था तथा नियमानुसार 1904–1905 एवं 1345 फसली के मानचित्र की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियाँ एवं राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये थे और न्यायालय से यह प्रार्थना की थी कि वर्तमान में होने वाले अभिलेख प्रकिया के अन्तर्गत बनाये जा रहे बन्दोबस्त मानचित्र को भी वास्तविकता के आधार पर दुरस्त किया जाय। उक्त वाद में नियमानुसार तहसील से आख्या प्राप्त कर निगरानीकर्तागण ने 1,000–00 रूपये न्याय शुल्क भी नियमानुसार जमा करवाया था। उक्त सीमांकन कार्यवाही में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक फूल सिंह व हल्का

लेखपाल आदि की उपस्थिति में दिनांक 10–06–2009 को विधिवत सीमांकन कार्यवाही की गई और राजस्व निरीक्षक ने नियमानुसार सीमांकन मानचित्र एवं अपनी आख्या विस्तार से दिनांक 10–06–2009 को न्यायालय में प्रेषित की। उक्त सीमांकन कार्यवाही में कलावती भी मौजूद थी। श्रीमती कलावती ने उक्त सीमांकन स्वीकार कर दिया था और अपना अतिक्रमण हटाने पर सहमति व्यक्त की थी परन्तु बाद में उसने उक्त सीमांकर कार्यवाही पर आपत्ति की। [redacted] सीमांकन पर आपत्ति करने के कारण निगरानीकर्ता ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की जिस पर दिनांक 07–12–2011 को मा0 उच्च न्यायालय ने तुरन्त सीमांकन कार्यवाही करने के निर्देश दिये और लम्बे समय पश्चात सीमांकन न करने पर और दिनांक 08–01–2014 को लगभग तीन वर्ष बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक रायपुर आदि की उपस्थिति में पूर्व सूचना के बाद सीमांकन की कार्यवाही की गई और उक्त सीमांकन कार्यवाही में श्रीमती कला थापा की ओर से पैरोकार रामसिंह उपस्थित रहा परन्तु उसने सीमांकन कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उक्त सीमांकन आख्या दिनांक 13–01–2014 को विधिवत न्यायालय में मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई। इस सीमांकन आख्या पर कला थापा द्वारा अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसका उत्तर निगरानीकर्तागण द्वारा शपथ पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सीमांकन आख्या दिनांक 24–01–2014 पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वाद में तिथियाँ नियत होती रहीं परन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी , देहरादून को लिखिल पत्र पर एक नई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 10–02–2014 संलग्न की गई जबकि जो भी कार्यवाही होनी थी वह सीमांकन आख्या दिनांक 13–01–2014 पर ही होनी थी। निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रतिवादी श्रीमती कला थापा आदि के विरूद्व सिविल जज जूनियर डिवीजन, देहरादून में निषेधाज्ञा वाद संख्या 150 वर्ष 2011 योजित किया था जिसमें निगरानीकर्तागण के शान्तिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से वर्जित किया गया था। वादीगण द्वारा योजित वाद संख्या 3 वर्ष 1988–89 अन्तर्गत धारा–176/178 व 182 में पारित अन्तिम डिक्री व आदेश दिनांक 14–10–1988 में जो रंगीन नजरी नक्शा तत्कालीन हल्का लेखपाल एवं न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया है उसके विपरीत किसी भी बन्दोबस्ती मानचित्र के आधार पर कोई भी सीमांकन कार्यवाही धारा 41 एल0आर0 एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। वाद संख्या–4/2013–14 की आदेश पत्रिका में ऐसा कोई आदेश पारित करने का वर्णन नहीं किया गया और न दिनांक 03–02–2014 की कोई तिथि पत्रावली पर किसी पक्ष को प्रदान की गई थी। ऐसी दशा में परगनाधिकारी का उक्त आदेश न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रही पत्रावली के पूर्णतया विपरीत है और प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है। उक्त सीमांकन सीमांकन आख्या वादीगण की अनुपस्थिति में की गई और अवैध रूप से दर्शाया गया कि सूचना लेने से इन्कार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि के सीमांकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और प्रकाश थापा द्वारा खसरा नम्बर 1856/3, 1875/4, 1881 का सीमांकन कराने से इसलिए मना किया गया कि जिन नम्बरों का वे सीमांकन नहीं कराना चाहते थे उन्हीं नम्बरों के आधार पर अतिक्रमण किया गया। जब प्रतिवादी बाहर गई हुई थी तो निगरानीकर्तागण ने जबरदस्ती उसकी अनुपस्थिति में उसके अध्यासन वाली भूमि की पैमाईश करवाई। निगरानीकर्तागण द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बन्द किया गया है। गूल व रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण प्रकाश थापा आदि द्वारा ही निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा किया जा रहा है। दिनांक 04–01–2014 की निशानदेही/पैमाईश त्रुटिपूर्ण थी जिस कारण उस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। दिनांक 18–03–2001 व दिनांक 06–10–2001 को भी प्रतिवादिनी के पति ने ग्राम प्रधान को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1901 जो सार्वजनिक मार्ग का खसरा नम्बर है को निजि मार्ग कहते हैं जबकि उक्त रास्ता लगभग 60 वर्ष से भी अधिक समय से सार्वजनिक है और उक्त रास्ते पर लोग आवागमन करते हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त रास्ते पर अवैध रूप से सूचना पट्ट टांग कर उसे निजि सम्पत्ति बताना शुरू कर दिया जो अवैधानिक है। निगरानीकर्तागण द्वारा सीमांकन के दौरान नोटिस लेने से इन्कार किया गया। प्रतिवादिनी ने अपनी आपत्ति में जो पेपर नम्बर–17/1 पर है के पैरा–4 में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थिनी के घर पर न होने के दौरान ही निगरानीकर्तागण द्वारा पैमाईश करवाई गई। निगरानीकर्तागण द्वारा रास्ते पर अवैध रूप से कब्जे के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान व पुलिस में भी रिपोर्ट की गई। दिनांक 01–03–2014 के सीमांकन में निगरानीकर्तागण प्रकाश थापा आदि की उपस्थिति है उनके द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया है। गांव वालों ने भी ग्राम प्रधान को रास्ते पर कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत की है। निगरानीकर्तागण की निगरानी में कोई बल नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमांकन का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जैसा कि पूर्व ही उल्लिखित किया जा चुका है। पक्षकारों के मध्य सीमांकन का विवाद काफी समय से लम्बित रहा और इसी कारण वादग्रस्त भूमि पर कई बार सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित हुई और पक्षकारों की आपत्ति होने के कारण उन्हें पुनः सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की गई। इसी क्रम में मैने अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली पर विद्वान परगनाधिकारी(सदर), देहरादून द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के सम्बन्ध में 07 सदस्यीय समिति के गठन सम्बन्धी आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2014 पेपर नम्बर–21/2 का भी अवलोकन किया। विद्वान परगनाधिकारी ने इस आदेश में वादग्रस्त भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार, सदर की अध्यक्षता में समिति का गठन कर सीमांकन सम्बन्धी रिपोर्ट/आख्या तीन सप्ताह अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में पेपर नम्बर 21/1 पर राजस्व निरीक्षक, रायपुर के

हस्ताक्षरों से जारी सूचना पत्र भी उपलब्ध है जिस पर स्पष्ट रूप से निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा हस्ताक्षर/सूचना प्राप्त करने से इन्कार का उल्लेख किया गया है। विद्वान परगनाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 01–03–2014 को वादग्रस्त भूमि/स्थल का सीमांकन किया गया और इस सीमांकन कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्तागण प्रकाश थापा आदि के उपस्थित होने स्पष्ट उल्लेख उपस्थिति पत्र कागज संख्या–20/3 पर है परन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार का भी अंकन उपस्थिति पत्र पर है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 का भी अवलोकन किया गया। निर्णयादेश के पृष्ठ–4 के पैरा–2 में विद्वान परगनाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " दिनांक 07–03–2014 को पुकारने पर वादी एवं प्रतिवादी पक्ष उपस्थित आये। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। आदेश पत्र दिनांक 07–03–2014 पर भी प्रतिवादिनी के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। विद्वान परगनाधिकारी ने अपने निर्णयादेश में यह स्पष्ट किया है कि तहसीलदार देहरादून द्वारा पुनः दिनांक 28–02–2014 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 01–03–2014 को वाद संख्या–4/2013–14 प्रकाश थापा आदि बनाम कला थापा में प्राप्त आपत्ति के उपरान्त सजरा सन् 1345 फसली के अनुसार मुख्य मार्ग के बाँई ओर स्थित रास्ता एवं मन्दिर के भूमि खसरा नम्बर 1886 के उत्तर पूर्व कोने को अन्य जगहों से मिलान कर स्थायी आधार बिन्दु मानकर सीमांकन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें भूमि खसरा नम्बर 1886 के उत्तर पूर्वी कोने के आधार पर स्थायी बिन्दु मानकर सीमांकन कार्य आरम्भ किया गया जिसके बिन्दु ए प्रदर्शित किया गया है। इस बिन्दु से खसरा नम्बर 1884 का उत्तर पूर्वी कोना 18 मीटर की दूरी पर बिन्दु बी कायम किया गया। इसके पश्चात खसरा नम्बर 1888 का उत्तर पूर्वी कोना 38 मीटर की दूरी पर सी कायम किया गया। तत्पश्चात खसरा नम्बर 1888 का उत्तर पूर्वी कोना 30 मीटर की दूरी पर बिन्दु डी कायम किया गया। बिन्दु सी से खसरा नम्बर 1888 के पश्चिमी किनारे पर 30 मीटर दूरी पर बिन्दु ई चिन्हित किया गया। अभिलेखों एवं पत्रावलियों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। आदेश पत्र एवं निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 सभी पक्षों की सुनवाई के उपरान्त गुणदोष के आधार पर ही पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यों के आलोक में निगरानीकर्ता की निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी(सदर), देहरादून के निर्णयादेश दिनांक 07–03–2014 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

29.7.16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 29.7.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

29.7.16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।